रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-03042021-226334 SG-DL-E-03042021-226334

असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 113] दिल्ली, बुधवार, मार्च 31, 2021/ चैत्र 10, 1943 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 390 No. 113] DELHI, WEDNESDAY, MARCH 31, 2021/ CHAITRA 10, 1943 [N. C. T. D. No. 390

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (व्यय-IV) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 31 मार्च, 2021

संख्या ४९ / २०२०-राज्य कर

सं.फा. 3(90) / वित्त(व्यय–IV) / 2020–21 / डीएस–IV / 312.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 (अधिनियम 2020 का 06) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 30 जून, 2020 को उस तारीख के रुप में जिससे उक्त अधिनियम की धारा 2 और 13 के उपबंध प्रवृत्त होंगे, नियत करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर, मनोज कुमार, उप सचिव–IV (वित्त)

1993 DG/2021 (1)

FINANCE (EXPENDITURE-IV) DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 31st March, 2021

No. 49/2020- State Tax

No.F3(90)/Fin(Exp-IV)/2020-21/DS-IV/312.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Delhi Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2020 (Act No. 06 of 2020) (hereinafter referred to as the said Act), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby appoints the 30th day of June, 2020, as the date on which the provisions of sections 2 and 13 of the said Act, shall come into force.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, MANOJ KUMAR, Dy. Secy. IV (Finance)